श्री जनक सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना संख्या 18/2/348 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	शून्यकाल सूचना सं0–18/2/348	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या जल संसाधन विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे : सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर अंचल के सलेमपुर वितरणी, शामकौड़िया उप वितरणी, अगौथर लघु–नहर, जयथर जलवाहा, सढ़वारा लघु–नहर एवं प्रखंड तरैया और पानापुर सहित प्रायः पुरे राज्य के अन्य प्रखंडों में वितरणी, उप वितरणी, लघु नहर एवं जलवाहा की है जहाँ कृषि कार्य हेतु आज तक पानी नहीं पहूँचा है?	वस्तुस्थिति यह है कि:– • सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर अंचल में सलेमपुर वितरणी, शामकौड़िया उपवितरणी, अगौथर लघु नहर, जयथर जलवाहा तथा सढ़वारा लघु नहर आता है। • उक्त नहरों का पैतृक नहर पटेढा शाखा नहर है, जो सारण मुख्य नहर के कि0मी0 65.55 से निःसृत है। • पटेढ़ा शाखा नहर के कि0मी0 19.96 से सलेमपुर वितरणी निःसृत है, जिससे प्रश्नगत सढ़वारा लघु नहर, कौडिया उपवितरणी, अगौथर लघु नहर निःसृत होते हैं। • पटेढ़ाा शाखा नहर के कि0मी0 9.08 से मशरख उपवितरणी निःसृत होती है, जिससे प्रश्नगत जयथर जलवाहा निकलती है। • उपर्युक्त नहरों में कृषि कार्य हेतु पानी की कमी का मुख्य कारण इसके पैतृक नहर पटेढ़ा शाखा नहर में विगत कई वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण अत्यधिक मात्रा में जंगल/गाद जमा हो जाना है। वर्तमान में पटेढ़ा शाखा नहर में जंगल/गाद सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसे दिनांक 31.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। तदोपरांत खरीफ सिंचाई 2026 से सलेमपुर वितरणी एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। • जयथर जलवाहा का जलश्राव 20 क्यूसेक से कम है। 20 क्यूसेक या उससे कम जलश्राव वाले विभिन्न नहरों (मुख्य नहर को छोडकर) लघु नहर, उपलघु नहरों, जलवाहों आदि का सुदृढ़ीकरण कार्य मनरेगा (VB-G RAM G) से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त जलवाहा का मनरेगा (VB-G RAM G) द्वारा जीर्णोद्धार होने के उपरांत पानी उपलब्ध हो सकेगा। • सारण जिलान्तर्गत तरैया एवं पानापुर प्रखंड में मढ़ौरा शाखा नहर के कि0मी0 22.80 से धोबवल उप वितरणी, कि0मी0 34.14 से धेनुकी लघु नहर तथा कि0मी0 35.35 से निःसृत शेखपुरा वितरणी के कि0मी0 0.91 से देवड़ी लघु नहर निःसृत है। • प्रश्नगत नहरों में विगत कई वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण जंगल/गाद जमा हो गये है साथ ही नहर बांध अत्यंत कमजोर हो गया है। जिसके कारण उक्त नहरों मे नहर के अंतिम बिन्दु तक जलश्राव प्रवाहित नहीं किया जा सका है। धोबवल उपवितरणी, देवड़ी लघु नहर एवं फरीदपुर लघु नहर (धेनुकी) प्रणाली में मिट्टी लाईनिंग एवं संरचना का कार्य वर्तमान में चल रहे पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य (ई0आर0एम0) में सन्निहित है। जिसे दिनांक 31.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्राथमिकता के आधार पर उक्त नहरों में जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा तदोपरांत खरीफ सिंचाई 2026 में अंतिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य(सि0)–13–15 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त **शून्य काल सूचना सं0**–18 / 2 / 348 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य(सि0)–13–15 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य(सि0)–13–15 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0शून्य(सि0)–13–15 / 2026– 1963 पटना, दिनांक– 04/05/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.04.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
30/4/26